



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : शोध/7015

दिनांक :- 04.09.2024

विज्ञप्ति

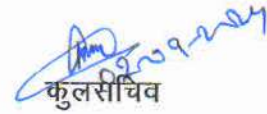
इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या-शोध/5764, दिनांक 15.05.2024 द्वारा चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में अवमुक्त श्रेणी के पी०एच०-डी० प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से ऑनलाइन पी०एच०-डी० आवेदन पत्र भरे हैं, को अगले चरण में शोध सलाहकार समिति (RAC) के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है।

शिक्षाशास्त्र (Education) विषय के पी०एच०-डी० में प्रवेश हेतु अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो दिनांक 05.06 एवं 07.08.2024 को सम्पन्न हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो पाये थे, को पुनः दिनांक 12.09.2024 को प्रातः 10.00 बजे साक्षात्कार हेतु शिक्षाशास्त्र विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ में आमंत्रित किया जाता है।

साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख (मूल एवं स्वः प्रमाणित प्रतिलिपि) लाना अनिवार्य है। :-

01. समस्त शैक्षणिक अभिलेख।
02. भरे गये आवेदन फार्म की एक प्रति।
03. प्रवेश पत्र की एक प्रति।
04. 06 पास पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ।
05. पहचान पत्र।
06. जाति प्रमाण पत्र।
07. ई०डब्ल्यू०एस० प्रमाण पत्र।
08. दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
09. नेट/जे०आर०एफ प्रमाण पत्र।
10. प्रस्तावित शोध क्षेत्र के बारे में 500 शब्दों में एक लेख।

ऐसे अभ्यर्थी जो नियत तिथि एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, को अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों का पी०एच०-डी० हेतु अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यह पी०एच०-डी० प्रवेश प्रक्रिया चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध आदेश 2022 में वर्णित प्रावधानों के अधीन है। दिनांक 08-12 जुलाई 2024 तक साक्षात्कार में उपस्थित हो चुके अभ्यर्थियों को पुनः साक्षात्कार हेतु आने की आवश्यकता नहीं है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
02. समस्त आर०ए०सी० सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि साक्षात्कार से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों की अर्हता जाँचने का कष्ट करे तथा अभ्यर्थियों को अपने स्तर से साक्षात्कार तिथि से अवगत कराने का भी कष्ट करे। अनर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार न कराये।
04. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एंजेसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों को ई-मेल/एस०एम०एस० के द्वारा साक्षात्कार तिथि से अवगत कराये।
05. विश्वविद्यालय वेबसाइट।

उप कुलसचिव (शोध)